दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 15 ▸ अंक : 6 ▸ गाजियाबाद, जून, 2019 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

आज तक किसी भी सरकार ने किसानों को 6000...P-8

देश की जनता ने नरेन्द्र मोदी के सिर पुन: ताज पहनाया

—उद्योग विहार (जून 2019)—

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार देश की बागडोर संभाल ली है। राष्ट्रपति भवन में गुरुवार शाम आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पीएम के बाद पिछली सरकार में गृह मंत्री रहे लखनऊ से बीजेपी के सांसद राजनाथ सिंह ने पद एवं गोप. नीयता की शपथ ली। ऐसे में साफ है कि मोदी सरकार 2.0 में उनका कद दूसरे नंबर का ही रहेगा। सरकार में तीसरे नंबर पर अमित शाह ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। आपको बता दें कि पीएम के साथ कुल 24 कैबिनेट मंत्रियों, 9 राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) और 24 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। सरकार में चौथे मंत्री के तौर पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पिछली सरकार में सड़क परिवहन मंत्री रहे नितिन गडकरी ने शपथ ली। इसके बाद सदानंद गौड़ा ने अंग्रेजी में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इससे पहले पीएम और तीन अन्य मंत्रियों ने हिंदी में शपथ ली थी। पिछली सरकार में रक्षा मंत्री रहीं निर्मला सीतारमण, छक। के सहयोगी दल एलजेपी के प्रमुख रामविलास पासवान, मुरैना से जीते बीजेपी सांसद और पिछली सरकार में मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर, पटना साहिब से जीते रविशंकर प्रसाद ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

उद्योग विहार के प्रधान संपादक सत्येन्द्र सिंह केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार जनरल (रि.) वी.के. सिंह को बधाई देते हुए।

छाया: उद्योग विहार

उद्योग विहार के प्रधान संपादक सत्येन्द्र सिंह केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार नरेन्द्र सिंह तोमर को बधाई देते हुए।

उद्योग विहार के प्रधान संपादक सत्येन्द्र सिंह भाजपा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को बधाई देते हुए।

अब जान लेते हैं प्रधानमंत्री की पूरी टीम को

1- नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री)- कार्मिक, परमाणु ऊर्जा, जन शिकायत और पेंशन, अंतरिक्ष मंत्रालय
2- राजनाथ सिंह (कैबिनेट मंत्री)- रक्षा मंत्रालय
3- अमित शाह (कैबिनेट मंत्री)- गृह मंत्रालय
4- नितिन गडकरी (कैबिनेट मंत्री)- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
5- निर्मला सीतारमण (कैबिनेट मंत्री)- वित्त और कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय
6- सदानंद गौड़ा (कैबिनेट मंत्री)- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
7- पीयूष गोयल (कैबिनेट मंत्री) - रेलवे, वाणिज्य, उद्योग मंत्रालय
8- रमेश पोखरियाल निशंक (कैबिनेट मंत्री)- मानव संसाधन विकास मंत्रालय
9- रविशंकर प्रसाद (कैबिनेट मंत्री)- कानून और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय
10- राम विलास पासवान (कैबिनेट मंत्री)- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
11- नरेंद्र सिंह तोमर (कैबिनेट मंत्री)- कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय
12- हरसिमरत कौर बादल (कैबिनेट मंत्री)- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
13- एस. जयशंकर (कैबिनेट मंत्री)- विदेश मंत्रालय
14- थावर चंद गहलोत (कैबिनेट मंत्री)- सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय
15- अर्जुन मुंडा (कैबिनेट मंत्री)- आदिवासी मामलों का मंत्रालय
16- स्मृति ईरानी (कैबिनेट मंत्री)- महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय
17- हर्षवर्धन (कैबिनेट मंत्री)- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, भूविज्ञान मंत्रालय
18- प्रकाश जावड़ेकर (कैबिनेट मंत्री) - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
19- धर्मेंद्र प्रधान (कैबिनेट मंत्री)- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय
20- मुख्तार अब्बास नकवी (कैबिनेट मंत्री)- अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय
21- प्रह्लाद जोशी (कैबिनेट मंत्री)- संसदीय मामले, कोयला और खान मंत्रालय
22- महेंद्र नाथ पांडेय (कैबिनेट मंत्री) - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
23- अरविंद सावंत (कैबिनेट मंत्री) - भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
24- गिरिराज सिंह (कैबिनेट मंत्री) - पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय
25- गजेंद्र सिंह शेखावत (कैबिनेट मंत्री) - जल शक्ति मंत्रालय
26- संतोष गंगवार (राज्य मंत्री-स्वतंत्र प्रभार) - श्रम और रोजगार मंत्रालय
27- राव इंद्रजीत सिंह (राज्य मंत्री-स्वतंत्र प्रभार) - सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन और नियोजन मंत्रालय
28- श्रीपद नाईक (राज्य मंत्री-स्वतंत्र प्रभार) - आयुष मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), रक्षा मंत्रालय (राज्य मंत्री)
29- जितेंद्र सिंह (राज्य मंत्री-स्वतंत्र प्रभार) - पूर्वोत्तर विकास (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन, परमाणु उर्जा, अंतरिक्ष मंत्रालय (राज्य मंत्री)
30- किरण रिजिजू (राज्य मंत्री-स्वतंत्र प्रभार) - युवा मामले और खेल (स्वतंत्र प्रभार), अल्पसंख्यक मामले (राज्य मंत्री)
31- प्रह्लाद सिंह पटेल (राज्य मंत्री-स्वतंत्र प्रभार) - संस्कृति और पर्यटन
32- आरके सिंह (राज्य मंत्री-स्वतंत्र प्रभार) - बिजली, नवीन और नवीकरणीय उर्जा (स्वतंत्र प्रभार), कौशल विकास एवं उद्यमिता (राज्य मंत्री)
33- हरदीप सिंह पुरी (राज्य मंत्री-स्वतंत्र प्रभार) - शहरी विकास और नागरिक उड्डयन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (राज्य मंत्री)
34- मनसुख मंडाविया (राज्य मंत्री-स्वतंत्र प्रभार) - जहाजरानी (स्वतंत्र प्रभार), रसायन और उर्वरक (राज्य मंत्री)
35- फग्गन सिंह कुलस्ते (राज्य मंत्री)- इस्पात राज्य मंत्री
36- अश्विनी चौबे (राज्य मंत्री)- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री
37- वीके सिंह (राज्य मंत्री)- सड़क, परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री
38- कृष्ण पाल गुज्जर (राज्य मंत्री)- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री
39- दानवे रावसाहेब दादाराव (राज्य मंत्री)- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
40- जी. किशन रेड्डी (राज्य मंत्री)- गृह राज्य मंत्री
41- पुरुषोत्तम रुपाला (राज्य मंत्री) कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री
42- रामदास अठावले (राज्य मंत्री)- सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री
43- अनुराग सिंह ठाकुर (राज्य मंत्री)- वित्त और कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री
44- बाबुल सुप्रियो (राज्य मंत्री)- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
45- संजीव कुमार बालियान (राज्य मंत्री)- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री
46- धोत्रे संजय शमराव (राज्य मंत्री)- मानव संसाधन विकास, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
47- साध्वी निरंजन ज्योति (राज्य मंत्री)- ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
48- सुरेश अंगादि (राज्य मंत्री)- रेल राज्य मंत्री
49- नित्यानंद राय (राज्य मंत्री)- गृह राज्य मंत्री
50- वी मुरलीधरन (राज्य मंत्री)- विदेश, संसदीय कार्य राज्य मंत्री
51- रेणुका सिंह (राज्य मंत्री)- आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री
52- सोम प्रकाश (राज्य मंत्री)- वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री
53- रामेश्वर तेली (राज्य मंत्री)- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
54- प्रताप चंद्र सारंगी (राज्य मंत्री)- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री
55- रतन लाल कटारिया (राज्य मंत्री)- जलशक्ति और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री
56- कैलाश चौधरी (राज्य मंत्री)- कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री
57- देबाश्री चौधरी (राज्य मंत्री)- महिला और बाल विकास राज्य मंत्री
58- अर्जुन राम मेघवाल (राज्य मंत्री)- संसदीय कार्य, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING				DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	GUJRAT MINIMUM WAGES	PUNJAB MINIMUMWAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUMWAGES
	U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES
	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.
	01/04/19 TO 30/09/2019	01/02/19 TO 31/07/2019	01/02/19 TO 31/07/2019	1/10/2018	1/5/2019	01/04/2018 TO 30/09/2018	1/3/2018	1/1/2019	01-10-2018 TO 31-03-2019
CATEGORY OF WORKERS	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA ZONE-II	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	8021.52	9380.31	9834.20	14000.00	5850.00	8005.40	7852.17	8827.40	8331.00
SEMISKILLED	8823.67	10300.69	10817.62	15400.00	6162.00	8213.40	8632.17	*	8924.00
SEMISKILLED-A	*	*	*	*	*	*	*	9268.75	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	*	*	*	*	9732.18	*
SKILLED	9883.90	11435.41	11801.04	16962.00	6474.00	8421.40	9529.17	*	9518.00
SKILLED A	*	*	*	*	*	*	*	10218.79	*
SKILLED B	*	*	*	*	*	*	*	10729.74	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	*	7774.00	*	10561.17	11266.23	*

नोएडा में एक खंभे ने 7 दिन में 1200 वाहनों के कटवाए चालान

—उद्योग विहार (जून 2019)—

नोएडा। गौतमबुद्धनगर जिले के नोएडा शहर में ट्रैफिक नियमों को धता बताकर सड़क पर चलने वालों के लिए पुलिस अत्याधुनिक तकनीक लेकर आई है। देश का पहला रडार आधारित ऑटोमैटिक ट्रैफिक डिटेक्टर नोएडा में लगाया गया है। यह उपकरण खंभानुमा है और रात में भी 100 फीसदी वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ सकता है। एसपी (ट्रैफिक) अनिल कुमार झा ने बताया कि यह तकनीक अभी दुबई और कुछ यूरोपीय देशों में ही काम कर रही है। भारत में पहली बार नोएडा से शुरुआत हुई है। फ्रांस की एक कंपनी ने यह उपकरण ट्रायल के लिए लगाया है। रडार डिटेक्टर महामाया फ्लाईओवर से आगे चलकर दलित प्रेरणा स्थल के पास लगाया गया है।

एसपी ने बताया कि रडार ने 20 मई को काम करना शुरू किया था। सात दिनों में 1200 वाहनों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ चुका है। इन चालकों का डाटा ट्रैफिक पुलिस को ऑनलाइन मिल रहा है। सभी के पतों पर चालान भेजे जाएंगे। एसपी का कहना है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर इंफ्रारेड कैमरे लगे हैं। वे कैमरे रात में 30—35 फीसदी वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ पाते हैं। यह रडार रात में भी 100 फीसदी वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ने में सक्षम है। तकनीक अत्याधुनिक है, इस कारण महंगी है। अगर इस उपकरण का ट्रायल सफल रहा तो नोएडा के प्रमुख मार्गों, एक्सप्रेस वे और एलीवेटिड रोड पर इन्हें लगाने के लिए विकास प्राधिकरण और सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

पांच तरह के उल्लंघन पकड़ रहा

एसपी ट्रैफिक ने बताया कि यह रडार डिटेक्टर पांच तरह के यातायात उल्लंघनों को पकड़ रहा है। ओवरस्पीड से चलने वाले, ओवरटेकिंग करने वाले, दुपहिया वाहनों पर तीन सवारी, हेलमेट नहीं लगाने वाले वाहन चालक और लापरवाही से वाहन चलाने वालों को पकड़ रहा है। यह उपकरण करीब 500 मीटर की दूरी तक नजर रखता है।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.
❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)
http://www.legalipl.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
legalipl243@gmail.com

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD
❖ EVENTS MANAGEMENT
❖ PR MANAGEMENT
❖ ARTISTS MANAGEMENT
http://www.takshakindia.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

रेरा ने लौटाया रियल एस्टेट में भरोसा 42 हजार परियोजनाओं का पंजीयन

—उद्योग विहार (जून 2019)—

नई दिल्ली। दो वर्ष पहले केंद्र सरकार ने जब रियल एस्टेट रेगुलेशन कानून 2016 (रेरा) को लागू करवाने का फैसला किया तब देश के रियल एस्टेट उद्योग के लिए वह बेहद संक्रमण काल था। एक के बाद एक रियल एस्टेट कंपनियों की परियोजनाएं लटकती जा रही थीं और ग्राहकों व निवेशकों के साथ आए दिन धोखाधड़ी की शिकायतें मिल रही थीं। लेकिन दो वर्षों में रेरा ने सिर्फ रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा वापस करने में मदद किया है और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस सेक्टर को एक बार फिर गतिमान बना दिया है। वैसे, अभी रेरा की राह में कई सारी बाधाएं हैं लेकिन रियल एस्टेट क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून देश के हर नागरिक को आवास दिलाने की सरकार के लक्ष्य के लिए जरूरी हो गया है। रेरा कानून के तहत देश में पहली बार समूचे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक राष्ट्रव्यापी कानून बनाने का काम हुआ है। अभी तक देश के 22 राज्यों ने इसे लागू कर दिया है और इसके तहत रियल एस्टेट सेक्टर की 42 हजार परियोजनाओं का पंजीयन किया गया है।

रेरा के तहत गठित नियामक एजेंसी के समक्ष अभी तक 5,000 के करीब शिकायतें भी पहुंची हैं और इसने 3,100 मामलों में आदेश भी दिए हैं। इसमें से 71 फीसद आदेश खरीदारों के पक्ष में हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ है कि

❑ रियल एस्टेट क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार साबित हो रहा है रियल एस्टेट रेगुलेशन कानून

अब इस उद्योग में निवेशकों का भरोसा फिर से लौटने लगा है। रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियों के संगठन क्रेडाई के अध्यक्ष जक्षय शाह का कहना है कि रेरा ने सिर्फ भारतीय रियल एस्टेट कंपनियों के काम करने का तरीका नहीं बदला है बल्कि इसके बारे में लोगों की सोच भी बदल दी है। दो वर्ष में ही इसने देश में रियल एस्टेट उद्योग के लिए एक मजबूत नींव डाल दी है।

रियल एस्टेट क्षेत्र की सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया बताते हैं कि रेरा ने समूच रियल एस्टेट उद्योग में सबसे बड़ा बदलाव यह लाया है कि अब कंपनियां जिस उद्देश्य से पैसा लेती हैं उसी में इसका इस्तेमाल करती हैं। ग्राहकों से जुटाई गई राशि का 75 फीसद हिस्सा एक ही फंड में रखने की व्यवस्था है और इसका इस्तेमाल जिस परियोजना के लिए लिया गया है उसी में होता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि ग्राहकों की समस्याओं का समाधान अब कोर्ट में नहीं होता बल्कि रेरा के तहत ही नियामक एजेंसी शीघ्रता से करती है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) की वाइस प्रेसिडेंट अंजु याज्ञनिक मानती हैं कि समूचना उद्योग जिस तरह से चल रहा था, रेरा की वजह से उसमें बदलाव आ गया है। इसने जिस तरह से ग्राहकों के हितों की रक्षा की है और उनकी हर समस्या का समाधान निकालने की व्यवस्था की है उससे निवेशको का भरोसा फिर से बहाल हो गया है। इसने कंपनियों को उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराया हैं। यह देश में हर व्यक्ति को आवास दिलाने और स्मार्ट शहर की योजनाओं के लिए भी जरूरी है।

कई राज्यों में अभी भी लागू नहीं

रेरा कानून के तहत केंद्रीय स्तर और राज्यों के स्तर पर नियामक एजेंसी गठित करने की व्यवस्था है। वैसे अभी तक पश्चिम बंगाल, केरल जैसे पांच राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है। लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसे बेहद कुशलता से लागू किया जा रहा है। वैसे कई राज्यों में अभी रेरा के तहत जो व्यवस्थाएं करनी हैं वह नहीं हो पाई है लेकिन माना जा रहा है कि यह इस वर्ष के अंत तक हो जाएगा। मसलन, हर राज्य को अपनी आनलाइन साइट बनानी है जिसमें हर तरह की रीयल एस्टेट परियोजना के बारे में जानकारी देना होगा। अभी 11 राज्यों में ऐसा नहीं हो पाया है।

ईस्ट तिमोर बनेगा दुनिया का पहला प्लास्टिक कचरा मुक्त देश

कुआलालंपुर। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ईस्ट तिमोर दुनिया का पहला प्लास्टिक कचरा मुक्त देश बनने की राह पर है। इसके लिए वह देश में निकलने वाले सारे प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करेगा। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अपने इस अभियान के तहत उसने एक रिसाइकलिंग संयंत्र लगाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं से हाथ मिलाया है।

चार करोड़ डॉलर की लागत से बनने वाले इस संयंत्र के जरिये इस्तेमाल हुए प्लास्टिक सामान को नए उत्पादों में तब्दील किया जाएगा। ईस्ट तिमोर की सरकार ने कहा कि इस संयंत्र के 2020 के आखिर तक शुरू होने की संभावना है।

ऑनलाइन होगी लाइसेंस प्रक्रिया

39 लाइसेंस जारी करता है नगर निगम

—उद्योग विहार (जून 2019)—

गाजियाबाद। लाइसेंस प्रक्रिया को नगर निगम ऑनलाइन करने जा रहा है। इसके लिए पोर्टल बनवाया जा रहा है। निगम 39 प्रकार के लाइसेंस जारी करता है। समय की बचत और संसाधनों की कमी को देखते हुए पोर्टल तैयार कराने का आदेश हुए हैं। ज्यादातर लाइसेंस निगम का राजस्व और स्वास्थ्य विभाग बनाता है। इसके बनने पर लाइसेंस बनाने के लिए ज्यादा कर्मचारियों को लगाने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे लोग आवे. दन कर सकेंगे। जिनके लाइसेंस बने हुए हैं, वह रिन्यूअल करा सकेंगे। निगम मुख्यालय या जोनल कार्यालय का चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।

> लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन कराने की शुरूआत कर दी गई है। नगर आयुक्त ने आदेश दिए हैं। अगले महीने तक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया जाएगा।
>
> -डॉ. संजीव कुमार सिन्हा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी व लाइसेंस प्रभारी, नगर निगम

अभी मैनुअल प्रक्रिया : नगर निगम हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा करने की सुविधा कई सालों से दे रखी है। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया अब भी पुराने ढर्रे पर मैनुअल ही चल रही है। इस काम के लिए निगम को अलग से कई कर्मचारी लगाने पड़ते हैं। जब लाइसेंस रिन्यूअल का वक्त आता है, निगम दफ्तरों में भीड़ नजर आती है। लोगों में धक्कामुक्की तक होती है। ऑनलाइन व्यवस्था होने पर यह झंझट खत्म हो जाएंगे। सीमित संसाधनों के बावजूद निगम की आय में इजाफा होगा।

औद्योगिक क्षेत्रों में मानचित्र पास कराना हुआ महंगा

—उद्योग विहार (जून 2019)—

कानपुर। उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने औद्योगिक और व्यावसायिक भूखंडों के मानचित्र शुल्क में बढ़ोत्तरी की है। अब प्रदेश भर में प्राधिकरण का मानचित्र व अन्य शुल्क एक समान होगा। अभी तक जिस जिले में औद्योगिक क्षेत्र होते थे, वहां या आसपास के विकास प्राधिकरण में निर्धारित शुल्क लागू किया जाता था। यूपीसीडा प्रबंधन अब उन आवंटियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है जो भूखंड लेने के बाद निर्माण नहीं करा रहे हैं। इसी के साथ विभिन्न तरह के शुल्क भी बढ़ाए गए हैं। प्राधिकरण ने मलबा शुल्क में जहां मामूली बढ़ोतरी की है, वहीं आवासीय भूखण्ड के मानचित्र शुल्क में मामूली कमी की है। प्रबंधन ने कानुपर विकास प्राधिकरण, आगरा, लखनऊ समेत विभिनन प्राधिकरणों से दरों से संबंधित प्रस्ताव मांगा था। कानुपर विकास प्राधिकरण की दरों को मुफीद माना गया और उसे ही पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। एक अधिकारी के मुता. बिक संस्थागत भूखंड के कवर्ड एरिया पर प्रोसेसिंग फीस 85 रूपये प्रति वर्गमीटर जमा करनी होगी, जबकि आधार भूत ढांचा के विकास पर भूखंड के क्षेत्रफल के अनुसार 15 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा।

इस तरह होंगी दरें

शुल्क का मद--पूर्व की दर--अब ये लागू

- ❑ 1000 वर्गमीटर तक के औद्योगिक भूखंड का मानचित्र -- 1751.00 -- 5000.00
- ❑ 1000 वर्गमीटर से अधिक औद्योगिक भूखंड का मानचित्र -- 17510.00 -- 20000.00
- ❑ व्यावसायिक भूखंड का मानचित्र शुल्क (कवर्ड एरिया पर) -- 72.10 --90.00
- ❑ आवासीय भवन के लिए मानचित्र शुल्क (300 वर्ग मीटर तक) -- 8.80 -- 8.50
- ❑ आवासी मानचित्र शुल्क (300 वर्ग मीटर से ऊपर) -- 13.50 -- 13.50
- ❑ ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र शुल्क (कवर्ड एरिया पर) -- 62.00 -- 80.00
- ❑ निरीक्षण शुल्क -- 3.50 -- 18.00
- ❑ मलबा शुल्क --38.70 -- 37.50
- ❑ बाह्य विकास शुल्क -- 1727.50 -- 600.00

(नोट: शुल्क प्रति वर्गमीटर रुपए में)

मृतक आश्रित को दी जा सकती है न्यूनतम अर्हता में छूट

—उद्योग विहार (जून 2019)—

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत न्यूनतम अर्हता में छूट दी जा सकती है। निजी संस्थाओं की प्रबंध समिति मृतक आश्रित को समायोजित करने से इन्कार नहीं कर सकती। कोर्ट ने स्कूल प्रबंध समिति पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। यह हर्जाना आश्रित को मुकदमेबाजी में उलझाकर परेशान करने के लिए लगाया गया है। कोर्ट ने नियमित वेतन भुगतान करने सहित चार हफ्ते में हर्जाना राशि का भुगतान आश्रित बृजेश गोपाल खलीफा को करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने रमाकांत सेवा संस्थान कन्या विद्यालय वाराणसी की प्रबंध समिति की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि खंडपीठ ने मृतक आश्रित को नियुक्ति का आदेश दिया और नियुक्ति आदेश को एकलपीठ में दोबारा चुनौती दी गई। कहा कि कोर्ट के आद. ेश के खिलाफ अपील दाखिल कर प्रबंध समिति ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। आश्रित बृजेश गोपाल की तरफ से अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बहस की। बृजेश गोपाल को 14 जुलाई 2015 को बीएसए ने नियुक्ति का आद. ेश दिया। लेकिन, विद्यालय में उसे नियुक्ति नहीं दी गई। फिर बीएसए ने शिवकरण सिंह गौतम उ.मा. विद्यालय भदैनी में लिपिक पद पर नियुक्ति का आदेश दिया। वहां भी नियुक्ति नहीं दी गई। इस पर कई दौर की मुकदमेबाजी चली। सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक को दो बार कोर्ट ने नियुक्ति तय करने का आदेश दिया। लेकिन, मृतक आश्रित को नियुक्ति नहीं मिल सकी। कोर्ट के आदेश पर 29 अक्टूबर 2018 को बृजेश गोपाल को रमाकांत सेवा संस्थान कन्या विद्यालय वाराणसी नियुक्ति मिल सकी। यही वही स्कूल है जहां बृजेश गोपाल की मांग शिक्षक थीं और उनकी सेवाक. ाल में मृत्यु हो गई थी। कोर्ट के आद. ेश पर बृजेश की नियुक्ति तो कर ली गई लेकिन, प्रबंध समिति ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की। कोर्ट ने कहा कि मृतक आश्रित की तुरंत नियुक्ति करनी चाहिए जबकि ऐसा न कर उसे परेशान किया गया। कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए भारी हर्जाना लगाया है।

❑ रमाकांत सेवा संस्थान कन्या विद्यालय वाराणसी की प्रबंध समिति की विशेष अपील खारिज, कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन समिति पर लगाया 50 हजार का जुमार्ना

लेबर सेस माफ करने की अपील

नोएडा। फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (फोनरवा) ने लेबर सेस में खामियों को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जिसमें लेबर सेस को जमा करने में लोगों के आगे आ रही समस्याओं के बारे में बताया गया है। पत्र में पुराने लेबर सेस को माफ करने की अपील करते हुए नए सिरे से बन रहे मकानों पर लिए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही यह कहा गया है कि मकान की लागत के बजाए लेबर की लागत पर लेबर सेस लिया जाए। फोनरवा के अध्यक्ष एनपी सिंह ने बताया कि कई लोगों की यह समस्या है कि उन्होंने मकान बना हुआ काफी समय पहले किसी से खरीदा। अब ऐसे में उन्हें नहीं पता कि मकान बनाने में क्या लागत आई है, इसलिए वह नहीं समझ पा रहे हैं कि लेबर सेस किस हिसाब से जमा करें।

सम्पादकीय

नई पारी

सत्येन्द्र सिंह

भारी बहुमत से चुनाव जीत कर दुबारा सत्ता की कमान संभालने वाली भाजपा और सहयोगी दलों की सरकार के मंत्रियों पर स्वाभाविक ही लोगों की नजर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य समारोह में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनकी सरकार में ज्यादातर पुराने मंत्रियों को शामिल किया गया है। कुछ नए मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रियों का चुनाव करते समय क्षेत्र, वर्ग आदि के साथ-साथ सहयोगी दलों का भी ध्यान रखा गया है। इस तरह मंत्रियों के चुनाव से उम्मीद जगी है कि सरकार इस बार भी तमाम क्षेत्रों में कामकाज सुचारु ढंग से चलाने को लेकर प्रतिबद्ध है। आमतौर पर मंत्रिमंडल का गठन करते समय दलों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और करीबी लोगों का दबाव देखा जाता है, मगर नई सरकार के मंत्रिमंडल में यह दबाव नजर नहीं आता। चूंकि सरकार के कामकाज की जवाबदेही आखिरकार सत्ता के मुखिया पर आती है, इसलिए उसका दायित्व होता है कि वह ऐसे लोगों को विभागों की जिम्मेदारी सौंपे, जो कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार हों और सरकार के दृष्टिकोण तथा लक्ष्यों के अनुरूप काम कर सकें। फिर जब कोई सरकार अपनी दूसरी पारी शुरू करती है, तो पुराने सहयोगियों के कामकाज का भी मूल्यांकन करती है। अगर वह किसी मंत्री के कामकाज से संतुष्ट नहीं होती, तो उसे दुबारा जिम्मेदारी न सौंपने जैसे कठोर फैसले भी करने पड़ते हैं। इस तरह नई सरकार अपने मंत्रिमंडल के गठन में अधिक व्यावहारिक नजर आई है। कई बार सरकारें दूरगामी लक्ष्य लेकर चलती हैं। कई ऐसी योजनाएं होती हैं, जिनके नतीजे एक-दो साल में नजर नहीं आते। उन पर सतत ध्यान रखने की जरूरत होती है। इस तरह जब कोई पार्टी दुबारा सत्ता में आती है, तो उसे अपनी महत्त्वाकांक्षी योजनाओं पर लगातार काम करने की जरूरत होती है। अगर पिछले कार्यकाल में उनमें कोई कमी रह गई है या किसी तरह के बदलाव की जरूरत है, तो उस दिशा में काम करने की जरूरत होती है। या फिर जिन क्षेत्रों में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा पाया होता है, उनमें नए सिरे से कार्ययोजना तैयार करनी होती है। पिछले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि, वाणिज्य, स्वास्थ्य, रोजगार आदि अनेक क्षेत्रों में कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की थीं। उनमें से कई के अपेक्षित नतीजे अभी आने हैं। ऐसे में जिन मंत्रियों ने लक्ष्य के अनुरूप काम किए, उन्हें जिम्मेदारी सौंपना लाजमी है। इससे बड़ा फायदा यह भी होता है कि जो व्यक्ति लगातार जिस क्षेत्र में काम करता आया हो, योजनाओं को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध रहा हो, उसे उस काम के हर पहलू का ज्ञान होता है और जब उसे दुबारा जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो उसके लिए परेशानी नहीं होती। वह सहजता से उस काम को करने में जुट जाता है। इस लिहाज से कई मंत्रियों को दुबारा सरकार में शामिल किया जाना सरकार का समझदारी भरा कदम कहा जाएगा। भाजपा इस बार पिछले चुनाव से भी अधिक सीटों पर विजय हासिल कर सत्ता में आई है। इसका अर्थ है कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर भरोसा है। इस तरह नई सरकार पर जिम्मेदारियां पहले से कुछ अधिक बढ़ गई हैं। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों की चुनौतियों से पार पाना बड़ा काम माना जा रहा है।

सावधान ! ये फल दिखाने के और हैं खाने के और

शरीर की जरूरी खुराक और पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम सब भोजन के अलावा फलों आदि पर आश्रित रहते हैं। बाजार में जाते हैं और नाना प्रकार के फल अपने रूप-रंग से हमें आकर्षित करते हैं। चाहे उनका मौसम हो या न हो। यहीं पर हमें चेतने की जरूरत है। एक क्षण ठिठककर सोचिए कि अगर उस फल के पकने का सीजन नहीं है तो कैसे पका फल बाजार में बिक रहा है। यह रसायनों का कमाल है। थोड़े से लोभ के लिए लोग जिंदगी से खिलवाड़ करने में लगे हैं। ये फल हमारे शरीर को पुष्ट कम नष्ट ज्यादा करते हैं। पेश है एक नजर :

पकने की प्राकृतिक प्रक्रिया

फलों का पकना एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जिसमें फल ज्यादा मीठे, कम हरे, मुलायम और रसीले, सुस्वादु होते हैं। आमतौर पर यह प्रक्रिया पेड़ों की डाली पर ही होती है, लेकिन कारोबार करने के दौरान पके फलों को दूर तक भेजने में बहुत नुकसान होता है, लिहाजा उनका भंडारण करके पकाया जाता है। भंडारण में भी प्राकृतिक तरीके से पकने की प्रक्रिया धीमी होती है। पकने के लिए किए गए भंडारण के दौरान इनकी रसायनिक और एंजाइम संरचना में बदलाव होता है। पकने की इस प्रक्रिया में एंजाइम टूटते हैं साथ ही स्टार्च जैसे पॉलीसैचराइड्स हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह प्रक्रिया स्टार्च को फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज जैसे छोटे अणुओं में तोड़ देती है।

पकाने की कृत्रिम प्रक्रिया

इथाईलीन और एसिटीलीन जैसे असंतृप्त हाइड्रो कार्बन फलों को तेजी से पकाते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में फल का इंद्रिय ग्राही चरित्र जैसे स्वाद, महक, देखने में आकर्षक आदि काफी हद तक चौपट हो जाते हैं। शीघ्रता से पकाने के लिए कारोबारी कम समय वाले फलों में भी जरूरत से ज्यादा रसायन डाल देते हैं जो इंसानी इस्तेमाल के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आजकल फलों को पकाने के लिए बाजार में तमाम रसायन मौजूद हैं। इनमें कैल्शियम कार्बाइड, कार्बन मोनॉक्साइड, पोटैशियम सल्फेट, इथीफोन, पोटैशियम डाई हाइड्रोजन आर्थोफास्फेट, पुट्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, फोटोपोरफायरिनोजेन आदि हैं।

कैल्शियम कार्बाइड के नुकसान

- इसमें घातक और खतरनाक रसायन आर्सेनिक व फास्फोरस हाइड्राइड होते हैं। जो इंसानों पर प्रतिकूल असर डालते हैं।
- इससे पके फल खाने से पेट खराब रहता है। आंतों का कार्यशैली गड़बड़ाती है।
- इन तत्वों के चलते खून और ऊतकों में कम ऑक्सीजन पहुंचती है जो हमारे तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है।

ध्यान रखें

- अलबत्ता बाजार से कृत्रिम रूप से पकाए फलों को खरीदे ही नहीं, अगर गलती से खरीद लिया है तो इस्तेमाल से पहले फल को अच्छी तरीके से धोएं।
- आम और सेब जैसे फलों को समूचा खाने की जगह काटकर खाएं।
- जितना संभव हो, उपभोग से पहले फल को छील लें।

ऐसे करें पहचान

प्राकृतिक रूप से पका फल

- आकर्षक होगा, लेकिन पूरे फल का रंग एक समान नहीं होगा
- फल का वजन अच्छा होगा
- महक अच्छी होगी
- सुदृढ़ और चटख होगा
- स्वाद मीठा और अच्छा होगा
- ज्यादा दिन खराब नहीं होगा

कृत्रिम रूप से पका फल

- पूरे फल का एक जैसा रंग होता है, लेकिन आकर्षक नहीं दिखता
- महक कम, फल सुदृढ़ दिखेगा
- फल पका दिखेगा, फिर भी आंतरिक हिस्से में खट्टापन रहेगा
- छिलके का जीवनकाल लंबा नहीं होगा। दो या तीन दिन में ही काले धब्बे दिखने लगेंगे

खतरनाक रसायन है कैल्शियम कार्बाइड

इसे आमतौर पर 'मसाला' नाम से जाना जाता है। फलों को पकाने में सर्वाधिक इसी का इस्तेमाल होता है। कई देशों में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। शुद्ध रूप में ये रंगहीन होता है, लेकिन अन्य रूपों में यह काले, सफेद-भूरे रंग का होता है। लहसुन की तरह इसकी महक होती है। पानी (नमी) के साथ मिलकर यह एसिटिलीन गैस बनाता है, जो फलों को तेजी से पकाती है। आम, केला, पपीता, खुबानी और आलू बुखारे को बहुतायत में इसी से पकाया जाता है।

क्या है कानूनी प्रावधान

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियमों 2011 के अनुसार कोई भी व्यक्ति कार्बाइड से कृत्रिम रूप से पकाए गए फलों को नहीं बेच सकता है। कानून की धारा 50 के अनुसार, अगर तय मानकों पर किसी विक्रेता के फल खरे नहीं उतरते तो उस पर पांच लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी कानून की धारा 59 में ऐसा करने वालों के लिए सजा का भी प्रावधान है। अगर किसी को ऐसा करता कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसकी शिकायत राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर के यहां की जा सकती है।

ट्रेड वार: चीन ने अमेरिका के 60 अरब डॉलर के उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया

—उद्योग विहार (जून 2019)—

बीजिंग। चीन ने अमेरिकी शुल्क बढ़ोतरी के जवाब में अमेरिका के 60 अरब डॉलर के उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया। चीन ने साथ ही कहा कि वह विदेशी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को चेतावनी दी थी कि यदि आप समझौता नहीं करेंगे, तो चीन पर बहुत धुरा प्रभाव पड़ेगा। चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसके देश में अमेरिका से होने वाले 60 अरब डॉलर के आयात पर लगने वाले शुल्क में अगले महीने की पहली तारीख से 25, 20 और 10 फीसद की बढ़ोतरी की जा रही है। ठीक अमेरिकी शेयर बाजार खुलने के वक्त ही चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसे उम्मीद है कि अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में वापस लौट आएगा और आपसी लाभ और पारस्परिक सम्मान व बराबरी के आधार पर समझौता करेगा। शुल्क बढ़ोतरी के कुछ घंटे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीन कभी भी विदेशी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। इसे पहले ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को चेतावनी दी थी कि यदि आप समझौता नहीं करेंगे तो चीन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि चीन की कंपनियों को अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। चीन के संपूर्ण आयात पर शुल्क बढ़ाने की अमेरिकी चेता. वनी के बारे में पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि हम कहते रहे हैं कि शुल्क बढ़ाने से समस्या का निदान नहीं निकलेगा। उन्होंने टोक्यों में जी20 बैठक के दौरान ट्रंप और चिनफिंग की मुलाकात की भी पुष्टि नहीं की। जी20 बैठक अगले महीने होगी।

चीन की छह कंपनियों पर अमेरिका ने लगाई पाबंदी

वाशिंगटन। अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि उसने चीन की छह कंपनियों, पाकिस्तान की एक और संयुक्त अरब अमीरात की पांच कंपनियों पर संवेदनशील अमेरिकी टेक्नोलॉजीज और अन्य उत्पादें का निर्यात करने से रोक लगा दी है। मंत्रालल ने कहा कि चीन की चार कंपनियों ने अमे. रिका के कमोडिटी को हासिल करने की कोशिश की थी, जिससे ईरान के व्यापक विनाश के हथियारों के निर्माण में मदद पहुंचाई जा सकती थी। चीन की दो अन्य कंपिनयों पर इसलिए पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि उन्होंने नियंत्रित टेक्नोलॉजी के निर्यात में हिस्सा लिया और उनकी आपूर्ति पीपुल्स लिबरेशन आमी से जुड़े संगठनों को की।

महिला पायलट की यौन उत्पीड़न की शिकायत की उच्च स्तरीय जांच होगी

—उद्योग विहार (जून 2019)—

नई दिल्ली। एयर इंडिया ने अपनी एक महिला पायलट की ओर से एक कमांडर के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप की उच्च स्तरीय जांच कराने की घोषणा की है। पायलट की ओर से दायर की गई शिकायत के मुताबिक, कथित घटना पांच मई को हैदराबाद में हुई, जहां कमांडर उन्हें प्रशिक्षण दे रहा था। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया, हमनें तत्काल उच्च स्तरीय जांच बैठा दी। पायलट ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि प्रशिक्षक ने उनसे कहा कि पांच मई को सत्र के बाद दोनों को साथ में रात का खाना खाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने कहा, 'हम रात करीब आठ बजे एक रेस्त्रां में गए जहां मेरा बुरा वक्त शुरू हुआ... उन्होंने मुझे यह बताना शुरू किया कि वह अपने विवाहित जीवन में कितने उदास और दुखी हैं।'

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

05 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, जून, 2019

गलती से भी गलती न करें कंपनी सचिव

50 हजार करोड़ का सीएसआर होने के बाद भी नहीं हुआ कोई असर

–उद्योग विहार (जून 2019)–

कानपुर। कंपनी सचिव गलती से भी गलती न करें। ऐसा हुआ तो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आइसीएसआइ) उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगा। यह बात संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत पांडेय ने कही। वह कानपुर चैप्टर द्वारा कंट्रीब्यूशन ऑफ सीएस प्रोफेशनल न्यू कॉरपोरेट इंडिया विषय पर सेमिनार संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल खुद को अपडेट करते रहें क्योंकि नियम तेजी से बदल रहे हैं। यह अच्छी बात है कि आज तक किसी भी फ्रॉड में किसी

❑ आइसीएसआइ अध्यक्ष रंजीत पांडेय बोले, कार्रवाई होगी

कंपनी सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कुछ पर हुई तो लोग जांच में दोषमुक्त कर दिए गए। उनके मुता. बिक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी (सीएमआर) फंड के 50 हजार करोड़ खर्च के बाद भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा। जिन कार्यों में सरकार धन खर्च कर रही है, उसमें ही सीएसआर का धन खर्च कर दिया गया। इस वजह से उसका प्रभाव नहीं दिख रहा। नए क्षेत्रों में फंड खर्च होना जरूरी है। उनहोंने कहा कि जीएसटी ऑडिट के लिए हर प्रोफेशनल को अनुमति मिलनी चाहिए। जितने ज्यादा प्रोफेशनल होंगे उतनी प्रतिस्पर्धा होगी। कंपनी के पास चयन का मौका होगा कि वह सीए के पास जाए या किसी अन्य के पास। संस्थान ने सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम में जीएसटी अशोक दीक्षित ने कहा कि कंपनी सचिव विदुर की तरह कार्य करें। वह हमेशा धृतराष्ट्र को गलत काम से रोकते रहे। उनके अनुसार किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले समझ लें कि वह गलत नहीं है। एक बार हस्ताक्षर के बाद वह अंतिम सांस तक आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्री की ज्वाइंट कंपनी सचिव सावित्री पारिख ने कहा कि चीजें तेजी से बदल रही हैं। नए नियम आ रहे हैं। इसलिए लगातार रेस जरूरी है। साथ ही उसे इंज्वाय करना चाहिए। अगर इंज्वाय नहीं किया तो दौड़ से बाहर जाएंगे।

शहीद की पत्नी को मदद की : सेमिनार में शहीद प्रदीप सिंह की पत्नी नीरज यादव को संस्थान की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 51 हजार रूपये का चेक दिया।

'नान को 'चूर-चूर' करने से नहीं रोका जा सकता'

–उद्योग विहार (जून 2019)–

नई दिल्ली। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि चूर–चूर नान और अमृतसरी चूर–चूर नान शब्द पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता है। क्योंकि यह पूरी तरह से सार्वजनिक भाव है। अदालत ने कहा कि चूर–चूर शब्द का मतलब चूरा किया हुआ है और चूर–चूर नान का मतलब है चूरा किया हुआ नान। यह शब्द किसी एक के लिए ट्रेडमार्क हस्ताक्षर लेने योग्य नहीं है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने प्रवीण कुमार जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। जैन पहाड़गंज में एक रेस्तरां के मालिक हैं, जहां नान एवं अन्य व्यंजन परोसे जाते हैं। जैन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि चूर–चूर नान पर उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए पंजीकरण कराया हुआ है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए

चूर-चूर नाम के हक को लेकर दायर की गई याचिका पर दूसरे पक्ष ने भी हाई कोर्ट में अपना तर्क दिया। दूसरे पक्ष की तरफ से कहा गया कि ढाबा व होटलों में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना आम है। जैसे चांदनी चैक के मशहूर, दिल्ली के मशहूर, दिल्ली वालों की मशहूर आदि। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि व्यापार के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना आम है।

एक अन्य भोजनालय के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यदि पंजीकरण गलत तरीके से दिए गए हैं या ऐसे सामान्य भावों के लिए आवेदन किया गया है, तो इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भले ही चूर–चूर नान का पंजीकरण करा रखा हो, लेकिन इससे किसी भी नान को चूर–चूर करने से नहीं रोका जा सकता।

स्टार्ट-अप्स: टैक्स नियमों में ढील की तैयारी

–उद्योग विहार (जून 2019)–

नई दिल्ली। स्टार्ट–अप कंपनियों को फंड जुटाने में हो रही दिक्कतों के निदान के लिए सरकार ने आयकर कानून में ढील देने की तैयारी की है। इसके तहत उद्योग एवं आतंरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआइआइटी) ने एक प्रस्ताव रखा है कि रिहाइशी संपत्तियों की बिक्री के अलावा किसी वित्त वर्ष के घाटे को उससे अगले वित्त वर्ष में समायोजित करने से जुड़े आयकर नियमों में ढील दी जा सकती है।

ये सुझाव डीपीआइआइटी द्वारा तैयार 'स्टार्ट–अप विजन 2024' दस्तावेज का हिस्सा हैं। पूंजी जुटाने में मुश्किलों का सामना कर रही स्टार्ट–अप कंपनियों की दिक्कतें दूर करने के मकसद से डीपीआइआइटी ने नई सरकार के लिए यह विजन दस्तावेज तैयार किया है। डीपीआइआइटी ने आयकर कानून की धारा 54जीबी में ढील देने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत रिहाइशी संपत्तियों की बिक्री के चुनिंदा मामलों में कैपिटल गेन टैक्स से छूट दी जा सकती है। डीपीआइआइटी ने आयकर कानून की धारा 79 में भी संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके माध्यम से चुनिंदा कंपनियों के मामले में नुकसान को अगले वित्त वर्ष में समायोजित करने पर विचार किया जा सकता है।

निगम से लाइसेंस न लेने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें

–उद्योग विहार (जून 2019)–

गाजियाबाद। नगर निगम अब लाइसेंस न लेने वालों पर शिकां कसेगा। अब तक नोटिस का प्रारूप नहीं था। निगम ने यह प्रारूप भी तैयार कर लिया है। जोनल टीम की मदद से लाइसेंसिंग सीमा में आने के बावजूद बिना इसके चल रहे व्यवसाय, कार्य और कंपनियों को चिन्हित किया जाएगा।

निगम को मुकदमा दर्ज कराने का अधिकारी : वर्ष 1999 में जारी शासनादेश में लाइसेंस शुल्क तय किए गए थे। उसमें प्रावधान किया गया है कि लाइसेंस न लेने पर 500 रूपये जुर्माना लगाया जा सकता है। निर्धारित तिथि तक जुर्माना अदा न करने पर इसके साथ 20 रूपये प्रति दिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 550 में मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है। इसे ठीक तरीके से लागू करने से नगर निगम को लगभग 300 करोड़ रूपये की आय होगी।

ये दस्तावेज लगाने जरूरी : आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाद्य सामग्री संबंधी लाइसेंस में एफडीए के लाइसेंस की कॉपी, डॉक्टर के लिए एमसीआइ और सीएमओ से प्राप्त लाइसेंस, वाहन संबंध में रजिस्ट्रेशन कॉपी, शराब की दुकान के लिए आवंटन पत्र।

इनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी

होटल, लॉजिंग व बारात घर	1000 रूपये
तीन सितारा होटल	9000 रूपये
पांच सितारा होटल	12000 रूपये
नर्सिंग होम 20 बेड तक	2000 रूपये
नर्सिंग होम 20 बेड से अधिक	5000 रूपये
प्रसूति गृह 20 बेड तक	4000 रूपये
प्रसूति गृह 20 बेड से अधिक	5000 रूपये
प्राइवेट अस्पताल	5000 रूपये
पैथेलॉजी सेंटर	11000 रूपये
एक्सरे क्लीनिक	2000 रूपये
डेटल क्लीनिक	4000 रूपये
प्राइवेट क्लीनिक	3000 रूपये
ऑटो रिक्शा 2 सीटर	360 रूपये
ऑटो रिक्शा 3 सीटर	500 रूपये
ऑटो रिक्शा 7 सीटर	720 रूपये
मिनी बस	1500 रूपये
बस	2500 रूपये
तांगा	50 रूपये
रिक्शा किराए पर	150 रूपये
रिक्शा निजी चालित	175 रूपये
ठेला	100 रूपये
हाथ ठेला	75 रूपये
बैलगाड़ी	25 रूपये
ट्रॉली	150 रूपये
फाइनेंस कंपनी	6000 रूपये
इंश्योरेंस कंपनी	12000 रूपये
पशु वद्धशाला	25 रूपये प्रति पशु
हड्डी गोदाम	11000 रूपये
बार	6000 रूपये
आइस फैक्ट्री	100 रूपये
बिल्डर रजिस्टर्ड	5000 रूपये
देशी शराब दुकान	6000 रूपये
विदेशी शराब दुकान	12000 रूपये
भैंसा मांस की दुकान	300 रूपये
बकरा मांस की दुकान	600 रूपये
प्रति पालतू पशु	10 रूपये
कांजी हाउस	350 रूपये
छोटे जानवर बकरी आदि	10 रूपये
गाय, भैंस समेत बड़े जानवर	24 रूपये प्रति जानवर
दूध उत्पाद की दुकान व फूड स्टॉल	500 रूपये

जीएसटी ने दिया कारोबारियों को तोहफा

–उद्योग विहार (जून 2019)–

कानपुर। जीएसटी ने डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। जल्द ही इस सीमा में आने वाले कारोबारियों को जीएसटीएन पोर्टल पर ही एक साफ्टवेयर की सुविधा मिलेगी, जिससे वे खरीद और बिक्री की इनवाइस जारी करने के साथ ही रिटर्न भी फाइल कर सकेंगे। 31 मार्च 2021 तक यह सुविधा निःशुल्क मिलेगी। जीएसटीएन पोर्टल पर जल्द ही क्लाउड आधारित आठ सॉफ्टवेयर कारोबारियों को मिलेंगे। इन्हें लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों पर डाउनलोड किया जा सकेगा। इन सॉफ्टवेयरों से कारोबारी अपनी रोज की खरीद और बिक्री दर्ज करने के साथ बिलिंग और अकाउंटिंग भी कर सकेंगे। खरीद और

❑ जीएसटीएन पोर्टल पर जल्द ही क्लाउड आधारित आठ सॉफ्टवेयर कारोबारियों को मिलेंगे। इन्हें लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों पर डाउनलोड किया जा सकेगा।

बिक्री के साथ ही इसमें कैश लेजर, इनवेंट्री मैनेजमेंट, सप्लायर, कस्टमर मास्टर, इनवाइस व जीएसटी रिटर्न के फीचर मुफ्त होंगे। हालांकि मार्च 2021 के बाद कारोबारियों को इसका शुल्क देना होगा। जीएसटी हेल्प डेस्क से इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए इसके प्रश्न और जवाब जीएसटीएन पोर्टल के लिंक पर ही मिलेंगे।

लोकपाल की वेबसाइट का हुआ उद्घाटन

–उद्योग विहार (जून 2019)–

दिल्ली। लोकपाल की वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.लोकपाल.गॉव.इन) से शुरू हो गई। लोकपाल के चैयरपर्सन जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने इसका उद्घाटन किया। लोकपाल से शिकायत करने का प्रारूप भी केंद्र सरकार जल्द जारी करने वाली है। नियमों के मुताबिक लोकपाल से शिकायत सिर्फ सरकार द्वारा अधिसूचित प्रारूप में ही दाखिल की जा सकती है।

लेकिन, लोकपाल ने फैसला किया है कि 16 अप्रैल, 2019 तक प्राप्त सभी शिकायतों की छानबीन की जाएग, भले ही वे किसी भी प्रारूप में भेजी गई हों। छानबीन के बाद जो शिकायतें लोकपाल के दायरे से बाहर होंगी, उन्हें खारिज कर दिया जाएगा और शिकायतकर्ता को उसकी जानकारी भी दी जाएगी। वेबसाइट के मुताबिक, लोकपाल का कार्यालय दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित होटल 'द अशोक' में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष (66) को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च, 2019 को लोकपाल के चैयरपर्सन के रूप में शपथ दिलाई थी। लोकपाल में चार न्यायिक और चार गैर–न्यायिक सदस्य हैं। विभिन्न हाई कोर्टों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिलीप बी. भोसले, प्रदीप कुमार मोहती, अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी इसके न्यायिक सदस्य हैं।

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

उद्योग–जगत

06 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, जून, 2019

युवाओं के लिए भी खतरनाक है पानी में मिला आर्सेनिक

–उद्योग विहार (जून 2019)–

नई दिल्ली। आर्सेनिक मिले दूषित जल का बड़ा दुष्प्रभाव सामने आया है। ताजा शोध के मुताबिक आर्सेनिक के कारण युवाओं के दिल में खून की पंपि. ंग करने वाला हिस्सा मोटा होने लगता है इससे भविष्य में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्ट्रिया के हॉस्पिटल हीटिजंग के शोधकर्ता गेनोट पिछला ने कहा कि भूमिगत जल का इस्तेमाल करने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर पानी में आर्सेनिक हुआ तो दिल को खतरा हो सकता है। आर्सेनिक से दिल की बीमारियों के खतरों को लेकर पहले भी शोध सामने आ चुके हैं। अध्ययन में १,३३७ लोगों से जुड़े डेटा का विश्लेषण किया गया है इनकी औसत आयु ३०.७ साल थी अल्ट्रासाउंड ईसीजी के जरिए इनके दिल का आकार आकृति व कार्यप्रणाली को जांचा गया। आर्सेनिक के संपर्क में आने वालों में दिल में बदलाव का खतरा 58 फीसद तक ज्यादा पाया गया है।

मल जाट से चलेगा लीवर सिरोसिस का पता

वैज्ञानिकों ने जानलेवा बीमारी लीवर सिरोसिस कि समय रहते जांच का तरीका खोजा है भारतवंशी समीर वैज्ञानिकों के एक दल ने पाया है कि मल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से व्यक्ति में लीवर सिरोसिस का पता लगाया जा सकता है लिवर सिरोसिस को लीवर के लिए कैंसर के बाद सबसे घातक बीमारी माना जाता है अमेरिका के यूसी सैन डियागो स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर रोहित लूंबा ने कहा अगर हम इस बीमारी की समय से जांच कर ले तो इसके इलाज की दिशा में भी प्रभावी कदम बढ़ाया जा सकता है वैज्ञानिकों ने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज सिरो. सिस की जांच म मे सफलता हासिल की है।

नोएडा प्राधिकरण का बैंक खाता अटैच, पीएफ विभाग ने की रिकवरी

–उद्योग विहार (जून 2019)–

नोएडा। दरअसल, पीएफ विभाग में लंबे समय से संविदा कर्मियों के पीएफ मामले की सुनवाई चल रही थी। पिछले साल 23 नवंबर को 4571 संविदा कर्मियों के हक में फैसला आया था। नोएडा प्राधिकरण को जनवरी 2011 से मार्च 2017 तक के बकाये के रूप में 840227825 रूपये जमा करने का निर्देश दिय। इसके लिए 31 दिसंबर 2017 तक की समय–सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन समय–सीमा बीतने के बाद भी प्राधिकरण ने पैसा नहीं किया।

अपील की समय सीमा बीतने की कार्रवाई : पीएफ विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण के पास 23 जनवरी तक फैसले के खिलाफ अपील करने का मौका था। हालांकि प्राधिकरण ने न तो पैसा जमा किया और नही अपील की। इसके बाद खाता अटैच कर वसूली की गई।

डैमेज और पेनाल्टी भी देना पड़ेगा : पीएफ विभाग ने जितनी बकाया राशि वसूली है उस पर अभी नोएडा प्राधिकरण को पेनाल्टी और डैमेज का भुगतान भी करना होगा। इसकी गणना शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि पैनाल्टी और डैमेज राशि भी 84 करोड़ रूपये के आसपास निकलेगी।

सवा लाख से अधिक मतदाता, पर सुध नहीं

राजनीति लिहाज से देखा जाए तो यमुना के सफर में आने वाले गांव फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। इन सभी गांवों में करीब दो लाख से अधिक होगी तो मतदाता सवा लाख के आसपास, लेकिन इसके बावजूद यहां के लोग अपने अस्तित्व के लड़ाई लड़ते रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खादर के गांवों की सरकार के द्वारा हमेशा अनदेखी की जाती है। इन गांवों में बच्चों की शिक्षा के लिये कोई विद्यालय है और ना ही कोई डिस्पेंसरी की सुविधा है। तथा जुलाई अगस्त माह में मानसून आने के बाद जमुना का जल स्तर बढ़ जाने के बाद खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है मुआवजे के लिये किसानों को दर–दर की ठोकर खानी पड़ती है। कई बार इसके लिए आंदोलन करते हैं और नेताओं के यहां हाजिरी लगाते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं।

अब 20 हजार रूपये तक किराये पर नहीं देना होगा टीडीएस

–उद्योग विहार (जून 2019)–

- सालाना किराया 2.40 लाख रुपए से ज्यादा होने पर ही कटेगा
- ब्याज पर टीडीएस कटौती की सीमा भी 10 से 40 हजार हुई

लखनऊ। अपने किराये पर संपत्ति दे रखी हो या बैंक में पैसा जमा कर रखा हो, किराये व जमा रकम के बदले मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) की कटौती अब पहले जितना नहीं सताएगी। इस साल से आयकर के टीडीएस में किए गए बदलाव के बाद खासतौर से उन वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी, जिनकी आय बैंक में जमा रकम या मकान के किराये से हो रही है। आयकर बार एसोसिएशन ने बुधवार को लोगों को नये नियमों से परिचित कराया। आयकर भवन में टीडीएस पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने बताया कि पिछले साल तक किराये से 1.80 लाख रूपये तक होने वाली आय पर टीडीएस नहीं कटता था। यानी प्रतिमाह 15 हजार रूपये तक किराया बिना टीडीएस के मिलता था, लेकिन इस साल 2019–20 में यह रकम बढ़ाकर 2.40 लाख रूपये सालाना और 20 हजार रूपये महीना कर दी गई है। इसी तरह बैंकों में जमा रकम पर साल भर में 10 हजार रूपये से अधिक ब्याज मिलने पर टीडीएस कट जाता था लेकिन, अब इस रकम को चार गुना कर दिया गया है। 40 हजार रूपये तक का ब्याज बिना टीडीएस के ही दिया जाएगा। आयकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष केके दीक्षित ने बताया कि इसी तरह टीडीएस में कई और छोटे–छोटे बदलाव किए गए हैं।

कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट अक्षय अग्रवाल ने स्त्रोत पर कर कटौती और स्त्रोत पर कर संग्रह को लेकर विस्तार से जानक. ारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार टीडीएस के जरिए टैक्स जुटाती है लेकिन टीडीएस काटने और इसे सरकार के खाते में जमा करने की जिम्मेदारी भुगतान करने वाले व्यक्ति या संस्था की होती है। भुगतान करने वालों के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी कर यह बताना भी जरूरी है कि उन्होंने कितना टैक्स काटा और कितना जमा किया। कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के महासचिव नृपेंद्र सिंह, एसोसिएशन की स्टडी सर्किल कमेटी के चेयरमैन एसके भार्गव तथा सदस्य सिद्धार्थ कोहली व शरोश शम्सी सहित अन्य मौजूद थे।

गलत सूचना पर मिलेगी सजा

यदि किसी व्यक्ति की आमदनी कर योग्य नहीं है तो वह फार्म 15 जी/एच में इसकी घोषणा कर सकता है। ऐसे मामले में उसे होने वाले भुगतान पर कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि इस फार्म में असत्य विवरण देने पर तीन महीने से लेकर सात साल तक की सजा का भी प्रावधान है।

नौकरी छोडने के लिए अमेजन कर्मचारियों कर रही है मदद

–उद्योग विहार (जून 2019)–

न्यूयॉर्क। पैकेट डिलीवरी को तेज करने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रही अमेजन ने कर्मचारियों को अपनी कंपनी खोलने का प्रस्ताव दिया है। सोमवार को जारी प्रस्ताव के तहत कर्मचोरियों द्वारा स्थापित की जाने वाली स्टार्ट–अप कंपनी अमेजन की ही पैकेट डिलीवरी का काम करेगी। कपनी अपने प्राइम मेंबर के लिए पैकेट डिलीवरी में लगने वाले समय को दो दिन से घटाकर एक दिन पर लाना चाहती है।

अमेजन ने कहा कि नौकरी छोड़ने वाले जिन कर्मचारियों को कंपनी के कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, उन्हें स्टार्ट–अप कंपनी स्थापित करने के लिए 10,000 डॉलर तक की सहायता दी जाएगी। कपनी उन कर्मचारियों को तीन महीने का वेतन भी देगी। कपनी की यह पेशकश अधिकतर पार्ट टाइम और फुल टाइम कर्मचारियों के लिए है। होल फूड सेक्शन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हालांकि यह पेशकश नहीं है। कंपनी की नई पेशकश एक साल पहले शुरू किए गए एक कार्यक्रम का ही हिस्सा है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अमेजन का स्वतंत्र डिलीवरी कारोबार शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है। इस कार्यक्रम के तहत स्टार्ट–अप स्थापित करने का शुरूआती खर्च 10,000 डॉलर आता है और कारोबारी एक नीला वैन किराए पर ले सकता है, जिसके दोनों ओर अमेजन का लोगों छपा होता है।

पैकेजिंग का मशीनरी कर रही हैं कंपनी सैन फ्रांसिस्को : अमेजन ग्राहकों के ऑर्डर की पैकेजिंग के काम का तेजी से मशीनरीकरण कर रही है। इस काम में अभी हजारों लोगों को नौकरी मिली हुई है। हाल में कंपनी ने कुछ गोदामों का मशीनीकरण किया है। कंपनी दर्जनों और गोदामों का मशीनीकरण करने पर विचार कर रही है। कंपनी की इस योजना से अमेकिरा के 55 गोदामों में 1,3000 कर्मचारियों की नौकरी छिन जाने की आशंका है। कंपनी को उम्मीद है कि मशीनीकरण की लागत दो साल में वसूल हो जाएगी।

पीएफ डकारने वाली 272 कंपनियों को नोटिस

–उद्योग विहार (जून 2019)–

गुड़गांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त आदेश के बाद भी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के पीएफ का पैसा घटक ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शहर में चल रही ऐसी 272 कंपनियों को नोटिस थमाया है जो अप्रैल से जून 2018 तक कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा डकार गई है। विभाग ने इन कंपनियों को एक्ट 1952 के तहत नोटिस जारी किए हैं।

इन पर कर्मचारियों के 19 करोड़ 48 लाख 97 हजार रुपए बकाया है। इस बारे में जानकारी देते हुए संगठन के सहायक आयुक्त व वसूली अधिकारी राजू ने बताया कि ईपीएफओ ने अप्रैल 2018 से जून तक इन निजी फर्मों को नोटिस जारी किए हैं जिसमें कहा गया कि जल्द से जल्द कर्मचारियों के पैसे विभाग में जमा करें अन्यथा विभाग कार्रवाई करते हुए कंपनी के मालिक पार्टनर और निदेशक की चल अचल संपत्ति जप्त कर के पैसे की भरपाई की जाएगी उन्होंने बताया कि पिछले दिनों पुष्कर इंटरप्राइजेज जो कि आउट सोर्स एजेंसी है उक्त कंपनी पर वर्ष 2007 से 16 तक कर्मचारियों के पीएफ के करीब 2300000 डकार ने पर कंपनी के मालिक बलजीत सिंह को एक्ट के मुताबिक गिरफ्तार किया गया था अब दोबारा उस कंपनी को पीएफ जमा न करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस कंपनी को अब करीब 10 लाख का नोटिस दिया गया है वसूली अधिकारी बताते हैं कि गत अप्रैल से जून तक विभाग को करीब तीन करोड़ 62 लाख 52000 की रिकवरी हुई है इसके अलावा करीब दो करोड़ 16 लाख रुपए के केस अदालत में लंबित है।

> **कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं करने पर ईपीएफओ किसी भी सूरत में कंपनी को नहीं बचेगी जिन कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है वे तय समय पर पीएफ जमा नहीं करवा दी तो उनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क कर के पैसे की भरपाई की जाएगी।**
>
> **–सिद्धार्थ सिंह क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त**

यह है टॉप टेन डिफॉल्टर

अधिकारियों के मुताबिक टॉप 10 डिफाल्टर नाथूपुर फेस 3 स्थित मैसर्स डेनवर सिक्योरिटी सर्विस को 2 करोड़ 42 लाख रुपए, सेक्टर 43 ओल्ड जुडिशल कांपलेक्स स्थित मैसर्स एस ई बिजनेस वायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 97 लाख 74 हजार, प्लॉट नंबर 70 सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को करीब 81 लाख, एमजी रोड रीजेंट अकड़ स्थित सेलिब्रिटी फिनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 89 लाख, उद्योग विहार फेस 2 प्लॉट नंबर 345 स्थित टैक्स इंडिया लिमिटेड को 67 लाख 28 हजार, मैसर्स रूप फोर्स को 74 लाख रुपए, आईएमटी मानेसर सेक्टर 4 स्टेट मीठापुर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को 54 लाख, डीएलएफ फेस वन स्थित हारमोनी अर्बन स्पेस प्राइवेट लिमिटेड को 46 लाख रुपए और बहरामपुर रोड स्थित बी एस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को करीब 34 लाख रुपए जमा करने के नोटिस जारी किए हैं।

अब हर रेस्तरां को लेनी होगी फायर एनओसी

अर्पित होटल में आग लगने के बाद अब बदले जा रहे हैं नियम

—उद्योग विहार (जून 2019)—

नई दिल्ली। दिल्ली में अर्पित होटल में आग लगने से 17 लोगों की दर्दनाक मौत की घटना के बाद दिल्ली में रेस्तरां लाइसेंस के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। नई हेल्थ लाइसेंस पॉलिसी बन रही है। इसके तहत अब रेस्तरां में जगह के हिसाब से वहां लगने वाली कुर्सियों की संख्या तय की जाएगी। इसे लेकर उच्चस्तरीय बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रलय के निर्देश पर दिल्ली के स्थानीय निकाय रेस्तरां लाइसेंस की नीति में यह परिवर्तन करने की तैयारी कर रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, इस नई पॉलिसी में उन सभी खामियों को दूर किया जाएगा, जिससे आगजनी की घटना होने पर ज्यादा नुकसान की आशंका रहती है। एक अधिकारी ने बताया कि पॉलिसी में नए नियमों को जोड़ने पर कार्य चल रहा है। संभावना है कि चुनाव आचार संहिता हटने के बाद नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लाइसेंस में यह शर्तें भी जोड़ी जा रही हैं कि सभी प्रकार के रेस्तरां को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। फिलहाल 49 कुर्सियों तक के रेस्तरां पर यह नियम लागू नहीं होता है।

डायनिंग एरिया के क्षेत्रफल से तय होगी कुर्सियां : निगम के एक अधिकारी के अनुसार, गृह मंत्रलय की निगरानी में तीनों नगर निगमों के साथ ही नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और संबंधित विभागों की बैठकें हो रही हैं। इसके अनुसार, अब एक रेस्तरां के डायनिंग एरिया में सीटों की संख्या जगह के हिसाब तय होगी। इसमें एक कुर्सी के लिए करीब 1.8 वर्ग मीटर का स्थान तय किया गया है। रेस्तरां के आवेदक के पास जितना डायनिंग एरिया होगा, 1.8 वर्गमीटर प्रति कुर्सी के हिसाब से कुर्सियों की संख्या तय कर दी जाएगी। डायनिंग एरिया में किचेन, ऑफिस और स्टोर का क्षेत्र शामिल नहीं होगा।

नए सिरे से सभी पर लागू होगा नियम

निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, जिस दिन से यह नियम लागू होंगे, इसकी जद में सभी रेस्तरां आ जाएंगे। चाहे किसी ने अग्निशमन से अनापत्ति पहले से ही क्यों न ले रखी हो। खास बात यह होगी कि निगम बिना सेक्शन प्लान और कंप्लीशन प्रमाण पत्र के हेल्थ लाइसेंस जारी नहीं करेंगे।

निगम को आय में भी होता था नुकसान

रेस्तरां मालिक द्वारा अपने हिसाब से लोगों के बैठने की कुर्सियां तय करने से अक्सर निगम को आय का भी नुकसान होता था। निगमों के अनुसार 20 सीटों से लेकर 50 सीटों (कुर्सियों) तक की अलग लाइसेंस फीस है और 50 सीटों से ज्यादा के लिए अलग लाइसेंस फीस चुकानी होती है। देखने में आता था कि रेस्तरां संचालक 50 सीटों से कम का लाइसेंस लेकर इससे ज्यादा लोगों को अपने यहां सेवाएं देते थे।

हर स्तर पर बरती गई थी घोर लापरवाही

नई दिल्ली। करोलबाग के बहुचर्चित होटल अर्पित अग्निकांड में हर स्तर पर घोर लापरवाही बरती गई थी। होटल संचालक सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहा था। मालिक ने होटल में ना केवल अव्यवस्था बना कर रखी थी, बल्कि वह चालाकी से एजेंसियों की आंख में धूल भी झोंक रहा था। होटल में खामियां पाए जाने पर विभाग को शपथ पत्र देकर कमियों को दूर करने का आश्वसान दे देता था। उस वक्त सभी व्यवस्था ठीक कर देता, लेकिन एनओसी मिलते ही दोबारा अवैध गति. विधियां शुरू कर दी जाती थी। पुलिस जांच के मुताबिक पहली बार होटल अर्पित पैलेस को विभाग ने 2001 में एनओसी दी थी। उस वक्त होटल होटल चार मंजिल था। लेकिन बाद में होटल मालिक ने छत पर अवैध निर्माण करा वहां व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दीं। लिहाजा उसे सील कर दिया गया। इसके बाद शपथ पत्र देकर मालिक ने होटल की छत से निर्माण हटा दिए, लेकिन एनओसी मिलते ही उसने दोबारा वहां रेस्टोरेंट चलाना शुरू कर दिया था। जिससे बाद में भी दो बार होटल को सील किया गया था। होटल को अंतिम बार अग्निशमन विभाग ने 18 दिसंबर 2017 को एनओसी दी थी। लेकिन घटना के बाद जांच में होटल में काफी खामियां पाई गईं। इसके बाद होटल की एनओसी रद कर दी है। करोलबाग स्थित होटल अर्पित पैलेस को लाक्षागृह का रूप दे दिया गया था। नियम के विपरीत आकर्षक दिखने के लिए होटल की दीवार और फर्श पर लकड़ी और मोटे फोम का प्रयोग किया गया था। वहीं, कमरों को बांटने के लिए फाइबर के पार्टीशन लगाए गए थे। आग बुझाने के लिए ना तो होटल में लगाए गए अग्निशमन यंत्र ठीक से काम कर रहे थे और ना ही कर्मियों को उन्हें चलाने का प्रशिक्षण मिला था। इससे आग लगते ही बेकाबू हो गई और होटल में रह रहे लोग असमय काल के गाल में समा गए। होटल में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कराया गया था। होटल के बेसमेंट को पार्टी हाल बना दिया गया था। जबकि छत पर अवैध ओपन रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था। वहां एक किचन भी थी। घटना के बाद जांच एजेंसियों को वहां से नौ व्यवसायिक सिलेंडर मिले थे। भीषण आग के बावजूद संयोग से सिलेंडर नहीं फटे। जांच के पता चला है कि होटल मालिक ने भूतल पर चल रहे बार व रेस्टोरेंट का लाइसेंस ले रखा था। वहां भी कुछ गैस सिलेंडर पड़े थे। आग प्रथम तल से शुरू हुई जो ऊपर की ओर चली गई। नौ व्यावसायिक सिलेंडर में 19 किलो एलपीजी होती है। इस तरह नौ सिलेंडर में करीब 170 किलो गैस थी। होटल पूरी तरह शीशे की खिड़कियों से बंद था। दीवारों पर लकड़ी का काम, कमरों के बीच की दीवार फाइबर से बनी होने और छत पर फाइबर शीट लगाकर किए गए अवैध निर्माण की वजह से आग ने भयावह रूप ले लिया। लिहाजा प्रथम तल में लगी आग से उठा धुआं लोगों के लिए काल साबित हुआ।

1000 उद्योगों, प्रतिष्ठानों को नोटिस

साहिबाबाद ड्रेन में गंदगी डाल रहे 5000 उद्योगों पर एनजीटी के आदेश पर कार्रवाई

—उद्योग विहार (जून 2019)—

गाजियाबाद। नगर निगम ने एक हजार उद्योग और 100 किलो से ज्यादा कूड़ा निकालने वाले (बल्क वेस्ट जनरेटर) प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है। इन पर जुर्माना लगाया गया है। उद्योगों को ईटीपी प्लांट लगाने का निर्देश दिया गया है। प्रतिष्ठानों को गीले कूड़े से खाद बनाने का संयंत्र लगाने को कहा गया है। अनुपालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साहिबाबाद ड्रेन में गंदा पानी डाल रहे 500 उद्योगों को नोटिस जारी किया गया है। एनजीटी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। यह ड्रेन आगे जाकर यमुना में मिलती है। उद्योगों का गंदा पानी ड्रेन में जाता है। ड्रेन के रास्ते यह गंदगी यमुना नदी तक पहुंच जाती है। इससे नदी का पानी काला हो रहा है। एनजीटी ने इस मामले में यमुना पॉल्यूशन मॉनिटरिंग कमेटी को जांच के आदेश दिया था। इस कमेटी ने कई बार निरीक्षण किया। अपनी रिपोर्ट एनजीटी के समक्ष रखी। यमुना को प्रदूषित होने से बचाने के लिए उपाय भी सुझाए। एनजीटी ने नगर आयुक्त को नदी प्रदूषित करने वाले उद्योगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इस पर 682 उद्योगों को चिह्नित किया गया था। उनमें से नगर निगम सीमा के 500 उद्योगों को नोटिस दिए गए हैं। बाकी उद्योग लोनी नगर पालिका क्षेत्र में हैं। इनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और गंदे पानी को उपचारित कर साफ करने वाले ईटीपी प्लांट की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में कूड़ा निकालने वाले प्रतिष्ठानों का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम—2016, उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अना. शित कूड़ा—कचरा (विनियमन) अधिनियम—2000 के नोटिस दिए गए हैं। इन प्रतिष्ठानों में होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई की दुकान, स्कूल, कॉलेज, सरकारी महकमे शामिल हैं।

खाली बोतल कलेक्ट न कराने पर बिस्लेरी को दिया नोटिस

गाजियाबाद। नगर निगम ने मिनरल वाटर बेचने वाली कंपनी बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को खाली बोतलें कलेक्ट न कराने के आरोप में नोटिस दिया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत कार्रवाई हुई है। नोटिस में कंपनी प्रबंधन को खाली बोतलें कलेक्ट कराने की प्रणाली विक. सित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कई प्रतिष्ठानों को गंदगी फैलाने पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने बृहस्पतिवार को कविनगर जोन के अंतर्गत राजनगर, कविनगर, संजयनगर, गोविंदपुरम, हरसांव समेत कई स्थानों का निरीक्षण किया। गो. विंदपुरम में एक फार्म हाउस के पास जय माता ऑटो स्पेयर पार्ट्स एंड रिपेयरिंग सेंटर व जय माता दी टूर एंड ट्रेवल संचालक ने नाले के किनारे गंदगी फैलाई हुई थी। उसमें थर्माकोल और पॉलीथिन पड़ी हुई थी। नगर आयुक्त ने प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी वीपी शर्मा को दोनों प्रतिष्ठानों के संचालक को नोटिस देने का निर्देश दिया। गोविंदपुरम में ही बाबा मार्केट स्थित वोल्गा पैलेस बैंक्वेट हॉल, अग्रवाल स्वीट्स, सिंघल स्वीट्स और महा गणेश ट्रेडर्स के बाहर बिस्लेरी के खाली ग्लास व प्लास्टिक बोतल पड़ी हुई थी। प्लास्टिक की प्लेट, चम्मच से गंदगी कर रखी थी। इस पर नगर आयुक्त ने नोटिस देने का निर्देश जारी किया है। बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 नोटिस दिया है। इसमें विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी (एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी) निभाने के लिए कहा गया है। कंपनी प्रबंधन को बताया है कि इस रूल के तहत जिस प्लास्टिक पैकिंग में मिनरल वाटर बेचा जा रहा है। उस पैकिंग को कलेक्ट कराने के लिए प्रणाली विकसित करनी होगी। उसके बारे में नगर निगम को बताना पड़ेगा। तीन दिन में उसके बारे में अवगत नहीं कराया तो पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। निरीक्षण के दौरान जिन प्रतिष्ठानों के बाहर गंदगी मिली, उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं।

एक जगह बिस्लेरी की प्लास्टिक बोतल और ग्लास काफी मात्रा में मिले। इससे जाहिर हुआ कि कंपनी अपनी प्लास्टिक बोतल को कलेक्ट नहीं कराती। यह नियमों का उल्लंघन है। इस कारण बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेटेड लिमिटेड को नोटिस दिया गया है। कहा गया है कि वह अपनी खाली बोतलों की कलेक्ट कराने की प्रणाली विकसित करें। **—दिनेश चंद्र, नगर आयुक्त**

संक्षिप्त समाचार

लघु व सूक्ष्म उद्यमियों के विवाद का होगा निबटारा

—उद्योग विहार (जून 2019)—

गाजियाबाद। प्रदेश के ऐसे उद्यमियों का माल खरीदने के बाद उनका भुगतान न करने वालों के विवाद के निबटारे एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संचालित एमएसएमई समाधान पोर्टल पर होंगे। इस पर उद्यमियों को अपने सभी कागजात अपलोड करने होंगे। उक्त जानकारी देते हुए जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त बीरेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसे विवादों की यहां सुनवाई होने के बाद वाद का निबटारा होगा। इस बारे में लघु एवं सूक्ष्म उद्यमी जिला उद्योग केंद्र पर सहायक आयुक्त आरके निगम या वीके द्विवेदी से जानकारी ले सकते हैं।

भ्रष्ट बाबुओं के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी देगा डीओपीटी

—उद्योग विहार (जून 2019)—

नई दिल्ली। भ्रष्ट बाबुओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने में केंद्र सरकार के किसी विभाग या केंद्रीय निगरानी आयोग (सीवीसी) में मतभिन्नता होने पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के पास ही अंतिम अधिकार होगा। एक सरकारी आदेश में यह कहा गया है। पिछले वर्ष भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 में बदलाव के बाद यह आदेश जारी किया गया है।

मशीन के बीच में आने से युवक की मौत

गाजियाबाद। एनएच—9 चौड़ीकरण के लिए पुरानी सड़क को उखाड़ने के कार्य के दौरान एक युवक की दो हेमर मशीन के बीच में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मसूरी थाना प्रभारी ओपी सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान जीशान राणा (19) के रूप में हुई है। वह हापुड़ के लखनपुर गांव का रहने वाला है। परिवार की तरफ से अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। जीशान हेल्पर का कार्य करता था।

फेक न्यूज पर रोक के लिए सिंगापुर ने बनाया कानून

सिंगापुर। सिंगापुर ने फेक न्यूज (फर्जी खबरों) पर रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया है। इसमें फेक न्यूज के प्रकाशन को अपराध करार दिया गया है। साथ ही सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह इस तरह की सामग्री पर रोक लगाने और हटाने का आदेश दे सकती है। इसका उल्लंघन करने बालों को दस साल तक की जेल की सजा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

अब विमान यात्रियों को मिलेगा मनपंसद खाना

मुंबई। अब विमान यात्रियों को भूख पेट यात्रा नहीं करनी होगी। अपनी अनोखी पहल के तहत मुंबई हवाई अड्डा एक सेवा शुरू करने जा रहा है जिसके तहत यात्री भोजन का पहले ही ऑर्डर दे सकेंगे। उन्हें हवाई अड्डे पर भोजन पैक कर ले जा सकेंगे। यह जानकारी गुरूवार को एक अधिकारी ने दी। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर जून से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह सेवा शुरू होने जा रही है। तकनीक और मोबाइल एप की मदद से यह भारत में अपनी तरह की पहली योजना होगी। 'ग्रैबनगो' में यात्री एक या विभिन्न आउटलेट से पहले ही बिना किसी रूकावट के अपनी पसंद के खाने का ऑर्डर दे सकेंगे।

उद्योग विहार
निष्पक्ष पाक्षिक समाचार पत्र
शख्सियत
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, जून, 2019

आज तक किसी भी सरकार ने किसानों को 6000 रूपये भी नहीं दिए हैं : नरेन्द्र सिंह तोमर

कैबिनेट मंत्री भारत सरकार (कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय)

- नरेन्द्र सिंह तोमर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बहुत ही खास सिपहसलार में गिने जाते हैं।

- हमारी सरकार किसानों के प्रति शुरू से संवेदन शील रही है और आगे भी रहेगी
- प्रधानमन्त्री जी की मंशा थी की खजाने का पैसा भी किसान की जेब तक पहुँचना चाहिए
- अब देश के 14.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा
- पेन्शन 60 वर्ष की उम्र के बाद कम से कम 3000 रुपए प्रतिमाह उसके जीवित रहने तक मिलेगी, जब वह जीवित नहीं रहेगा तो उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत पेन्शन मिलेगी.

नरेन्द्र सिंह तोमर ने नरेन्द्र मोदी सरकार पार्ट–2 में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नरेंद्र सिंह तोमर के पास ग्रामीण विकास और कोयला मंत्रालय था. मध्य प्रदेश की मुरैना लोकसभा सीट बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत हासिल की थी. उन्होंने कांग्रेस के रामनिवास रावत को हराया था. नरेंद्र सिंह तोमर ने 113341 वोटों से जीत हासिल की थी. इस सीट पर बीजेपी की लगातार सातवीं जीत है. कांग्रेस को आखिरी बार इस सीट पर जीत साल 1991 में जीत मिली थी.इस सीट पर छठे चरण में 12 मई को वोटिंग हुई थी, जिसमें क्षेत्र के कुल 1828660 वोटरों में से 61. 97 फीसदी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था. मुरैना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं. इनमें माधवपुर, विजयपुर, सबलगढ़, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह विधानसभा सीटें शामिल हैं. यहां की 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि बीजेपी के पास एक सीट है.

मोदी कैबिनेट में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने नरेंद्र सिंह तोमर को ग्राम विकास और कृषि मंत्रालय का भार सौंपा है। इन दो मंत्रालयों को एक ही मंत्री को देने के पीछे पीएम मोदी का फैसला सरकार के लिए मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है साथ ही इससे कृषि क्षेत्र में आये संकटों से उबरा जा सकता है।

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पोरसा विकास खंड के तहत आने वाले ग्राम ओरेठी में मुंशी सिंह तोमर नामक किसान के पुत्र नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म 12 जून 1957 को तोमर राजपूत परिवार में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की है। वे इस दौरान महाविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। शिक्षा पूरी करने के बाद वे ग्वालियर नगर निगम के पार्षद पद पर निर्वाचित हुए। इसके बाद वे पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय रहे। वे 1977 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर संगठनात्मक क्षमता के साथ ही प्रशासन पर मजबूत पकड़ और कुशल रणनीति कार के रूप में जाने जाते हैं। बात करने की बजाए काम को तवज्जो देने वाले तोमर पहली बार प्रदेश के मुरैना संसदीय क्षेत्र से वर्ष 2009 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे इसके पहले प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे। तोमर इस बार ग्वालियर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। वे युवा मोर्चा में विभिन्न पदों पर रहते हुए 1996 में युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए। तोमर पहली बार 1998 में ग्वालियर से विधायक निर्वाचित हुए और इसी क्षेत्र से वर्ष 2003 में दूसरी बार चुनाव जीता। इस दौरान वे सुश्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रहे।

उन्हें वर्ष 2008 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष, सोमनाथ चटर्जी ने उत्कृष्ट मंत्री के रूप में सम्मानित किया था। तोमर वर्ष 2008 में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए और उसके बाद वे 15 जनवरी 2009 में निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए। बाद में वे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री पद पर रहे। तोमर एक बार फिर 16 दिसम्बर 2012 को पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए।

इनसे "उद्योग विहार" के "एडिटर इन चीफ""सत्येन्द्र सिंह" से बातचीत के कुछ अंश आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं।

सत्येन्द्र सिंह – आपको कृषि मंत्रालय का भारी भरकम मंत्रालय सौंपा गया है, आपका क्या विजन किसानों के प्रति रहेगा?

नरेन्द्र सिंह तोमर – हाँ , मुझे कृषि मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ इस कर्तव्य का पालन करूंगा और प्रधानमन्त्री जी के सपनों को पूरा करूँगा. हमारी सरकार किसानों के प्रति शुरू से संवेदन शील रही है और आगे भी रहेगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था की 5 वर्षों में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे. इस दृष्टि से विगत पाँच वर्षों में मोदी सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं. किसान का उत्पादन बढे, किसान की उत्पादकता बढे, इस दृष्टि से सिंचाई के साधन बढ़ाये गए हैं. सूक्ष्म सिंचाई पर जोर दिया गया है, किसानों के उत्पादन की मार्केटिंग हो सके इसके लिए व्यवस्था की गयी है. किसान को फसल की लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य मिले यह सुनिश्चित किया गया है. साथ ही प्रधानमन्त्री जी की मंशा थी की खजाने का पैसा भी किसान की जेब तक पहुँचना चाहिए इसी के लिए किसान सम्मान योजना बनायीं गयी थी.

सत्येन्द्र सिंह – सरकार किसानों के हित में क्या फैसला लेने जा रही है?

नरेन्द्र सिंह तोमर – सरकार ने आज की कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में बड़े ही दूरगामी एवं बड़े फैसले लिए गए हैं. ये फैसले मा नरेन्द्र मोदी जी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता एवं उनके विकास के लिए जो भावना है उसको प्रकट करते हैं, और हम इनकी बेहतरी के लिए कई तरह की योजनायें भी ला रहे हैं.

सत्येन्द्र सिंह – किसानों के हित में क्या योजनायें सरकार लाने जा रही है? कृपया बताएं किसान सम्मान योजना क्या है ?

नरेन्द्र सिंह तोमर – आम बजट में इस योजना के तहत 12.5 करोड़ लघु एवं सीमान्त किसानों को सालाना 6000 रूपये देने का प्रावधान किया गया था . सरकार ने लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए शुरू की गयी किसान सम्मान निधि योजना का दरवाजा अब सभी किसानों के लिए खोल दिया है. अब इसमें 2 करोड़ किसान और जुड़ जायेंगे, यानि अब देश के 14.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा. इससे सरकार के खजाने पर 87 हजार करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा.

अभी तक इस योजना का खर्च सिर्फ 75 हजार करोड़ का आता था. अतिरिक्त खर्च को बजट से लिया जायेगा. अभी तक यह लाभ सिर्फ दो हेक्टेयर की सीमा तक वाले किसानों को ही मिलता था. इस सीमा को समाप्त करने से अति. रिक्त 12 हजार करोड़ रूपये खर्च होंगे. आज तक किसी सरकार ने 6000 रूपये भी किसानों को नहीं दिए हैं .

सत्येन्द्र सिंह – किसानों के हित में और क्या योजनायें लायी गयी हैं ?

नरेन्द्र सिंह तोमर – सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमन्त्री किसान पेन्शन योजना की शुरुआत की है. इसमें 18 से 40 वर्ष तक के किसान शामिल हो सकेंगे. पेन्शन 60 वर्ष की उम्र के बाद कम से कम 3000 रूपये प्रतिमाह उसके जीवित रहने तक मिलेगी, जब वह जीवित नहीं रहेगा तो उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत पेन्शन मिलेगी. और जब दोनों नहीं रहेंगे तो यह सारा फंड कार्पस में शामिल हो जायेगा. 12.5 करोड़ ऐसे किसानों में से पांच करोड़ को पहले चरण में ही इसका लाभ मिलेगा. इसके तहत न्यूनतम 55 रुपये मासिक किस्त देनी होगी और इतनी ही राशि केन्द्र सरकार वहन करेगी. इस योजना पर 10 हजार करोड़ का खर्च आएगा. इस योजना में 1.5 करोड़ रुपये टर्नओवर वाले व्यापारियों को भी शामिल किया गया है जो जी एस टी के दायरे में नहीं आते हैं. इस योजना का क्रियान्वयन एल आई सी के माध्यम से भारत सरकार करेगी.

सत्येन्द्र सिंह – पशुओं को पालने में किसानों को बहुत खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से किसानों के पशु मर भी जाते हैं ?

नरेन्द्र सिंह तोमर – सरकार पशुओं के टीकाकरण की योजना को लायी है ताकि किसानों के पशु सुरक्षित एवं निरोग रहें और किसानों का खर्च भी बचे. सरकार ने पशुधन की सुरक्षा का जिम्मा भी लिया है, इस फैसले से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी. संक्रामक रोगों के चलते पशुओं में महामारी देश में आम है. सरकार इस दिशा में बड़ी पहल करते हुए देश व्यापी टीकाकरण योजना शुरू करेगी. इस पर 13 हजार करोड़ का खर्चा आएगा. इस योजना के अभी तक विफल होने की वजह केंद्र व राज्यों में 60 रू 40 फीसदी की सहभागिता रही है. लेकिन अब केंद्र सरकार ही इसका पूरा भार स्वयं उठाएगी. पाँच वर्षों में इस योजना के पूरा होने पर देश में ऐसी संक्रामक बीमारियों का उन्मूलन हो जायेगा. 30 करोड़ गायों, भैंसों व बैलों के साथ 20 करोड़ भेड़, बकरियों व एक करोड़ सूअरों का टीकाकरण किया जायेगा.

सत्येन्द्र सिंह – क्या इजराइल की तकनीक का प्रयोग भी खेती में किया जायेगा?

नरेन्द्र सिंह तोमर – सरकार हर आधुनिक तकनीक का प्रयोग करेगी, लेकिन यह बात भी महत्वपुर्ण है की हमें इजराइल की तकनीक का इस्तेमाल करने के पहले वहाँ के नागरिकों की तरह भी बनना पड़ेगा.

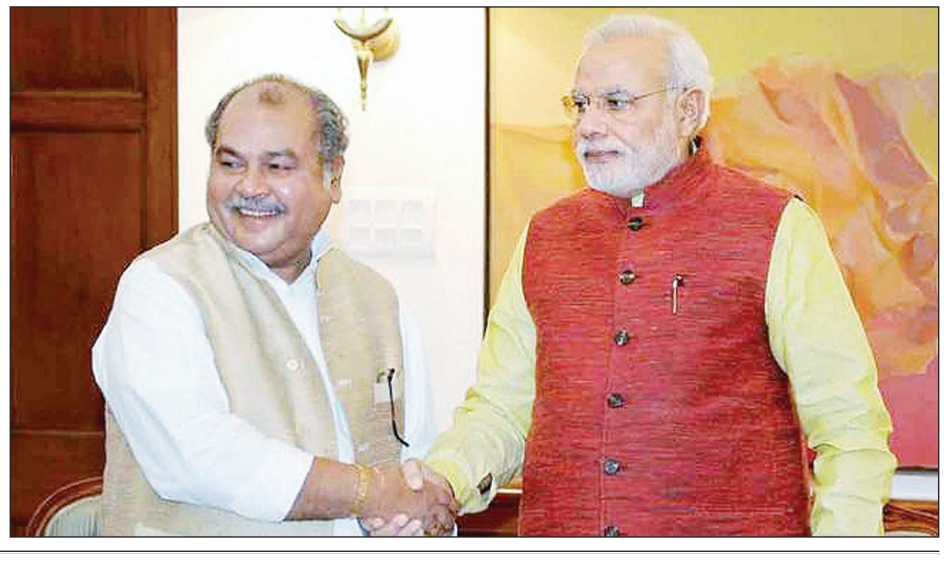

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह